# प्रेस नोट

## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

## दिनांक- 17.12.2025

- **थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए खेतों में लगे ट्यूबवेल के स्टार्टर चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को चोरी के 02 स्टार्टर व 01 मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 16.12.2025 को थाना राजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर खोजारामपुर यमुना पुल के पास से अभियुक्त साकिर शाह पुत्र सुबराती शाह निवासी मोहल्ला तोपखाना कस्बा जालौन थाना जालौन, जनपद जालौन को 02 स्टार्टर व 01 मोटरसाइकिल के साथ दिनांक 16.12.2025 को समय करीब 21.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । बरामद माल के सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 117/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 118/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी से मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । बरामद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलेक्स नं0 UP92AP0381 को धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -**

1. साकिर शाह पुत्र सुबराती शाह उम्र करीब 45 बर्ष निवासी मोहल्ला तोपखाना कस्बा जालौन थाना जालौन जनपद जालौन।

**पूछताछ का विवरण**

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि ग्राम डौडियापुर में करीब एक सप्ताह पहले तथा ग्राम भाल में अगस्त माह में जो स्टार्टर चोरी किये थे यह वही स्टार्टर हैं जिन्हें आज हम लोग मोटरसाइकिल से बेचने आय़े थे किन्तु आपने पकड़ लिया अन्य भागे हुये व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने उसका नाम लक्ष्मण सिंह पुत्र खिल्लन सिंह निवासी नादई थाना चुर्खी जनपद जालौन बताया कहा कि हम दोनों लोग ट्यूबेल से स्टार्टर व केबिल की चोरी करते हैं। बाद में उसे अन्य किसी ग्राहक/कबाडी को सस्ते दाम में बेच देते हैं।

**बरामदगी का विवरण –**

1. 02 स्टार्टर ।
2. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलेक्स नं0 UP92AP0381 ।

**अभियुक्त साकिर शाह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 117/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2)/ 317(2)बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

थाना राजपुर पुलिस ।